न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 31/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00316

अपीलान्ट

1. रमेशचन्द्र पुत्र सुजाराम
2. गंगाराम पुत्र सुजाराम
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र सुजाराम जातिगण जाट, निवासीगण धुन्धला, तहसील– मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)
2. मंगलाराम पुत्र पीथाराम
3. मांगीलाल पुत्र भीकाराम जातिगण जाट निवासीगण बेरा सांखलाट ग्राम धुन्धला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार
रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री हरीराम नेहरा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22.01.2021

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 26/2020 सरकार बनाम गंगाराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का धुन्धला ने अपीलाण्ट को ग्राम धुन्धला के खसरा नम्बर 199 रकबा 00.0300 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 26/2020 दर्ज किया तथा तीनों गैर सायल के नाम संयुक्त रूप से एक ही नोटिस जारी कर, उन्हें सुनवाई हेतु दिनांक [illegible].08.2020 को उपस्थित होने बाबत तलब किया गया। उक्त नोटिस गैर सायल संख्या [illegible] रमेशचन्द्र से तामील करवाया गया तथा गैर सायल रमेशचन्द्र दिनांक 14.08.2020 को अदालत में उपस्थित हुआ, तो रीडर ने अवगत कराया कि पी.ओ. साहब राजकार्य से बाहर पधारे है एवं [illegible] पर पेशी दी जाएगी। जिस पर गैर सायल अपने घर लौट गया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य दो गैर सायल को तलब किए बगैर ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया, उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने

अति. जिला कलेक्टर, पाली
Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्टगण को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है। हल्का पटवारी ने अपनी टी.पी. रिपोर्ट में अपीलाण्टगण द्वारा खसरा नम्बर 199 किस्म गै.मु. रास्ते पर ज्वार चरी की फसल बो कर अतिक्रमण किए जाने बाबत उल्लेख है, जबकि मातहत अदालत द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.08.2020 में यह अंकन किया है कि अपीलाण्टगण द्वारा जैर अपील आराजी पर अवैध कब्जा कर बाड़ा/मकान बना कर अतिक्रमण किया गया है, उक्त दोनों तथ्य आपस में विरोधाभाषी है। जैर अपील प्रकरण में यह स्पष्ट है कि मातहत अदालत ने जल्दबाजी में तथ्यों के एवं विधि के विरूद्ध जाते हुए निर्णय पारित किया है। जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 199 किस्म गै.मु. रास्ते के दोनों तरफ एवं आगे अपीलाण्टगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 196, 198 एवं 2019 स्थित है, अपीलाण्टगण का खसरा नम्बर 199 की भूमि पर कभी अतिक्रमण नहीं रहा है, न ही उनका उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने की मंशा है। अपीलाण्टगण को जैर अपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.09.2020 को हुई, जब हल्का पटवारी द्वारा कब्जा हटाने बाबत धमकी दी। इस पर अपीलाण्टगण ने मातहत अदालत से निर्णय एवं पत्रावली की नकलें दिनांक 11.09.2020 को प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर तथा जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी धुन्धला ने अपीलाण्टगण द्वारा खसरा नम्बर 199 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से उनके विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्टगण के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अपीलाण्टगण द्वारा अपील म्याद बाहर पेश की गई, तथा इस संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम धुन्धला के खसरा नम्बर 199 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस कारण हल्का पटवारी ने उनके विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की है, जिस पर मातहत अदालत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्टगण द्वारा किए अतिक्रमण के कारण उनके खातेदारी की भूमि पर आना–जाना मुश्किल हो गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जावे एवं अपील अपीलाण्टगण [illegible] जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया [illegible] एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपील[illegible] द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 10.09.2020 को [illegible] अपीलाण्टगण ने आदेश की जानकारी होने के 12 दिवस के भीतर अपील [illegible]यालय में पेश की है। जिससे अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम धुन्धला के खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

पटवारी हल्का धुन्धला द्वारा टी.पी. रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण संख्या 26/2020 दिनांक 24.07.2020 को दायर कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.08.2020 को मातहत अदालत में उपस्थित होने बाबत तीनों अपीलाण्टगण का संयुक्त रूप से एक नोटिस जारी किया, जो अपीलाण्ट संख्या 1 रमेशचन्द्र द्वारा तामील किया गया है तथा दिनांक 14.08.2020 को गैर सायल को उपस्थित होकर अतिक्रमण स्वीकार किया जाना बताकर अपीलाण्टगण को जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ पचास रूपये जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष दो अपीलाण्टगण की तामील हुए बिना ही दिनांक 14.08.2020 को निर्णय पारित कर दिया। जबकि राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल के भाग "क" अध्याय "पांच" नियम 48 (क) व (ग) के अनुसार किसी भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों के नाम पृथक-पृथक नोटिस जारी किया जाना चाहिए एवं सभी पक्षकारों की विधिनुसार तलबी होना आज्ञापक है। इसके साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी किसी भी प्रकरण के सभी पक्षकारों की प्रोपर तामील होने के पश्चात, उनको सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मातहत अदालत द्वारा जैर अपील प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व विधिवत नोटिस जारी नहीं किए एवं न ही विधिवत तामील हुई, मात्र एक पक्षकार की तामीली के आधार पर निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलाण्टगण ने ग्राम धुन्धला के खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0200 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है, यह हल्का पटवारी धुन्धला की टी.पी. रिपोर्ट से स्पष्ट है, लेकिन मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व विधिनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 26/2020 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए, पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करे। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को निर्णय की प्रति के साथ उनकी मूल पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली